



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax
Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, 'डी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

10th Floor, 'D' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन -040 : 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Tel. No. - 04023425474, Fax 23241427, Fax 040-23240403

फा.सं./प्रमुआआ/हैद./रा.भा./59/धारा 3(3)/2021-22

दिनांक: 10.12.2021

सेवा में ,

आयकर उपायुक्त (मुख्या) (प्रशा.)

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

हैदराबाद,

विषय :- स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी द्विभाषी आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि आपके कार्यालय से प्राप्त स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी आदेश संख्या आदेश संख्या 35 दिनांक 03.12.2021 एवं आदेश संख्या 36 दिनांक 03.12.2021 का हिंदी अनुवाद इस पत्र के साथ संलग्नित करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

भवदीय

(ममतारानी साहु)

उप निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय प्रमुआआ , हैदराबाद

संलग्नक : यथोपरि / उपर्युक्त



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax
Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद-500004

10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन -040 : 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Tel. No. - 04023425474, Fax 23241427, Fax 040-23240403

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(24)/प्रश/एमटीएस/2021

दिनांक: 03.12.2021

विषय : स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, एम.टी.एस. का स्थानान्तरण

एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

आदेश संख्या - 35

एतद्वारा एम.टी.एस. का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

क्र सं.	कर्मचारी का नाम	से स्थानान्तरित	को स्थानान्तरित
1.	जमुना	प्र.आ.आ.(आरईएफएसी)(वीयू)-1, गुंटूर	आ. अधिकारी (आरईएफएसी) (वीयू)-1(3)(2), गुंटूर, विजयवाड़ा में स्थित
2.	अल्लामपल्ली डी. लक्ष्मी	आ.अधिकारी (आरईएफएसी)(वीयू)-1(3)(2), गुंटूर, विजयवाड़ा में स्थित	आयकर कार्यालय, गुडीवाड़ा
3.	एन. कुमार स्वामी	प्र.आ.आ. (आरईएफएसी)(एयू)-2, हैदराबाद	आयकर कार्यालय, सिद्धीपेट
4.	सुरेश	आयकर कार्यालय, सिद्धीपेट	प्र.आ.आ. (आरईएफएसी) (एयू)-2, हैदराबाद
5.	शेखर कुमार रवि	आ.अ.आ./सं.आ. (आरईएफएसी) (एआर)-1(2), हैदराबाद	आ.आ.(अपील यूनिट)-4, हैदराबाद
6.	रामचरन तेजा बोनाला	आ.अ.आ./सं.आ. (आरईएफएसी) (एयू)-1(3), हैदराबाद	आ.आ.(अपील यूनिट)-5, हैदराबाद
7.	पी. मालाकर	आयकर कार्यालय, अमालापुरम	आ.अ.आ./सं.आ., रेंज-2, विशाखापट्टणम
8.	टी. काशी विश्वनाथ रेड्डी	आ.अ.आ./सं.आ. (आरईएफएसी) (वीयू)-1(2), हैदराबाद, अनंतपुर में स्थित	आयकर कार्यालय, नंदयाल
9.	आर. सुधीर कुमार	आ. अधिकारी आरईएफएसी(वीयू)-1(1)(6), गुंटूर, विशाखापट्टणम में स्थित	आयकर कार्यालय, श्रीकाकुलम
10.	एम. गोपी कृष्ण	आ.अ.आ./सं.आ. (आरईएफएसी) (एयू)-2(1), हैदराबाद	आ.आ.(आन्ध्र प्रदेश एवं तेलं.), हैदराबाद

2. सभी कार्यालय प्रमुख स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक 08.12.2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें।
3. यदि किसी कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता है तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा।
4. स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।
5. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक 10.12.2021 तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखी जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात कर्मचारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है। यह भी नोट करें कि कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है।
6. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।
8. आयुक्त विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (अराजपत्रित) एवं समूह "सी" (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानान्तरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानान्तरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानान्तरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।

9. इसे प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सी.वी. पवन कुमार)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि.
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख
4. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेलं. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्लू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद
5. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद
6. हैदराबाद के प्र.मु.आ.आ. कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग
7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल

पी. कृष्ण कुमार

(पी. कृष्ण कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax
Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन -040 : 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Tel. No. - 04023425474, Fax 23241427, Fax 040-23240403

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(25)/प्रश/नो.स./2021

दिनांक: 03.12.2021

विषय : स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, नोटिस सर्वर का स्थानान्तरण

एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

आदेश संख्या - 36

एतद्वारा नोटिस सर्वर कर्मियों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1	शंकर मंगलदीप	आ.अधिकारी (आरईएफएसी) (वीयू)-1(3)(5), हैदराबाद, निजामाबाद में स्थिति	आयकर भवन, अदिलाबाद
2	सैयद रिजवान अली	आयकर भवन, अदिलाबाद	आ.अधिकारी (आरईएफएसी)(वीयू)-1(3)(5), हैदराबाद, निजामाबाद में स्थिति
3	सैयद खाजा हुसैन	आ.उपायुक्त (आरईएफएसी)(वीयू)-1(3)(1), हैदराबाद	आ.अधिकारी (आरईएफएसी)(वीयू)-1(1)(6), हैदराबाद, वारंगल में स्थिति
4	वी. मेकानूरी	आ.अधिकारी (आरईएफएसी) (वीयू)-1(1)(3), गुंटूर, गुंटूर में स्थिति	आ.उपायुक्त/ सहायक.आ.आ, सेंट्रल रेंज, तिरुपति
5	एल. ताड़ीगोपूला	आ.अधिकारी (आरईएफएसी)(वीयू)-1(1)(6), हैदराबाद, वारंगल में स्थिति	आ.उपायुक्त (आरईएफएसी)(वीयू)-1(3)(1), हैदराबाद
6	वाई. कृष्णा राव	आ.अ.आ/आ.सं.आ, रेंज-2, विशाखापट्टणम	आ.अ.आयुक्त/सं.आ. (सेंट्रल रेंज), विशाखापट्टणम
7	जायाकर बाबू वी.	आ.अ.आ, रेंज-2, गुंटूर	आ.अधिकारी (आरईएफएसी)(वीयू)-1(1)(3),) गुंटूर, गुंटूर में स्थिति
8	एच सूरज सिंह	प्र.आ.आ (आरईएफएसी)(वीयू)-1, हैदराबाद	आ.अ.आ/आ.सं.आ, (आरईएफएसी)(आरयू)-1(1), हैदराबाद

2. सभी कार्यालय प्रमुख स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक 08.12.2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें ।
3. यदि किसी कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता है तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा ।
4. स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत है। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।
5. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक 10.12.2021 तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखी जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात कर्मचारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है । यह भी नोट करें कि कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है ।
6. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।
8. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (अराजपत्रित) एवं समूह "सी" (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानान्तरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानान्तरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानान्तरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य

दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।

9. इसे प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सी.वी. पवन कुमार)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि.
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख
4. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेल. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्लू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद
5. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद
6. हैदराबाद के प्र.मु.आ.आ. कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग
7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल

पी. कृष्ण कुमार

(पी. कृष्ण कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद